Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 संख्या : 01 / भू0अ0नि0 (1) मु0स्था0 (विशाखा)– 07 / 2023 4726

प्रेषक,

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी,
सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बिहार।
उप निदेशक,
बिहार सर्वेक्षण कार्यालय,
गुलजारबाग, पटना।

पटना, दिनांक :– 09/06/2023

विषय :– कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने के संबंध में।

प्रसंग :– महिला एवं बाल विकास निगम का पत्रांक–1295 / 2023 दिनांक 20.05.2023, तद्नुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक–666 (1) / रा0 दिनांक 31.05.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक के साथ महिला एवं बाल विकास निगम का पत्रांक–1295 / 2023 दिनांक 20.05.2023 द्वारा प्राप्त पत्र की छायाप्रति साथ में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

प्रासंगिक पत्र में अंकित निदेश के अनुरूप कार्रवाई करने की कृपा की जाय एवं कृत कार्रवाई की सूचना सीधे महिला एवं बाल विकास निगम को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

9/6/23

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01 / भू0अ0नि0 (1) मु0स्था0 (विशाखा)– 07 / 2023 4726 **पटना, दिनांक :** 09/06/2023

प्रतिलिपि :– सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

9/6/23

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Jyoti-2023\Bablu Sir\Director\07-2023 07.06.2023.doc

पत्रांक–1/मु0स्था0रा0भू0 (विविध)–15–09/2010– 666 (1)/रा0

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

भू-अभिलेख एवं परिमाप ... बिहार, पटना
ई–मेल JUN 2023

प्रेषक,

कंचन कपूर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक
चकबंदी निदेशालय/भू–अर्जन निदेशालय/कृषि गणना/
भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना।
निबंधक
बिहार भूमि न्यायाधिकरण, बिहार, पटना।
सभी जिला समाहर्त्ता।
सभी भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता।
सभी अंचलाधिकारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक– 31-05-2023

विषय :– ऑरेलियो फर्णांडिस बनाम गोवा राज्य वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक–12.05.2023 को पारित आदेश के आलोक में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने के संबंध में।

प्रसंग :– महिला बाल विकास निगम, बिहार का पत्रांक– WCDC-1295/23 दिनांक–20.05.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–30.05.2023 को आयोजित बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में महिला बाल विकास निगम के प्रसंगाधीन पत्र के साथ संलग्न ऑरेलियो फर्णांडिस बनाम गोवा राज्य वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक–12.05.2023 को पारित न्यायनिर्णय का सार तथा तदालोक में की जाने वाली कार्रवाई की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने–अपने कार्यालय तथा अपने अधीनस्थ कार्यालय में आंतरिक/स्थानीय समिति का गठन, समिति के सदस्यों के सम्पर्क सूत्र (यथा नाम, मोबाईल नं0, ईमेल पता) कार्यालय वेबसाईट पर उपलब्ध कराते हुए उक्त अधिनियम के विभिन्न पहलुओं से कार्यालय के सभी कर्मियों खासकर महिला कर्मियों को अवगत कराया जाय। **साथ ही जिला स्तर पर असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए गठित स्थानीय समिति की जानकारी, विभिन्न प्रखंड/पंचायत एवं अन्य कार्यालयों में प्रदर्शित एवं प्रचारित कराया जाय।**

प्रसंगाधीन वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्था करते हुए सभी राज्यों को 08 सप्ताह के भीतर कार्यान्वयन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है। अतः अनुरोध है कि **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत अपने स्तर पर अपेक्षित समिति का गठन एवं प्रसंगाधीन वाद में दिये गये निदेश के आलोक में सभी अपेक्षित कार्रवाई करते हुए अपने अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा भी इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही गठित समिति से संबंधित सूचना अनुपालन प्रतिवेदन के साथ महिला बाल विकास निगम एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।**

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
31/5/23
(कंचन कपूर)
सरकार के संयुक्त सचिव

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार

पत्रांकः NCDC/1295/23

दिनांकः 20/05/23

सेवा में

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत विभाग/जिला स्तर पर कार्यान्वयन की समीक्षा से मुख्य सचिव के द्वारा दिनांक 30.05.2023 को 3 बजे अपराह्न (वीडियो कांफ्रेसिंग) के माध्यम से करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 12 मई 2023 को सिविल अपील स0 2482/2014 आरिलियो फर्णाडिस बनाम गोवा राज्य में संघ के सभी सचिव एवं राज्यों के मुख्य सचिव को उक्त कानून के सही अनुपालन की जिम्मेवारी देते हुए 8 सप्ताह में कार्यान्वयन प्रतिवेदन दायर करने का निदेश दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निदेशों की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इन पर तुरंत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

माननीय उच्चतम न्यायालय से प्राप्त निदेशों के अनुपालन की समीक्षा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव द्वारा 30/05/2023 को 3 बजे की जाएगी। अनुरोध है कि अद्यतन प्रतिवेदन के साथ बैठक में ससमय भाग लेने की कृपा करें।

अनुलग्नकः यथोक्त

विश्वासभाजन

19/5/23

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

अपर मुख्य सचिव कोषांग
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
गै०स०प्रे०सं० 4148
दिनांक 23/05/2023

566
24.5.23

अनुलग्नक

111 13

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 2482/2014 आरलिया फर्नाडिस बनाम गोवा राज्य में निर्देश निम्नांकित है:–

1. सभी सरकारी विभागों में आंतरिक शिकायत समिति एवं जिला स्तर पर स्थानीय समिति का गठन हुआ है या नहीं ? यदि हां, तो क्या गठन नियमानुसार है या नहीं ?

2. आंतरिक समिति/स्थानीय समिति के सदस्यों का नाम, मोबाइल नंबर, ई–मेल पता क्या विभागीय/जिला वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ताकि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके।

3. ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया, नियम आदि वेबसाइट पर दिए गए हैं या नहीं?

4. आंतरिक/स्थानीय समिति के सदस्यों को अधिनियम के तहत उनके दायित्व एवं प्राप्त शिकायत की जांच कैसे करनी है, के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है या नही ?

5. सभी नियोक्ताओं/विभागों/जिलों/संघों को अपने सदस्यों को नियमित कार्यशालाएं, सेमिनार एवं कार्यक्रमों का आयोजन कर आंतरिक/स्थानीय समिति के सदस्य एवं महिला एवं अन्य कर्मियों/सदस्यों को इस अधिनियम के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना आवश्यक है। किया गया है या नही?

6. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एवं राजकीय न्यायिक अकादमी को अपने वार्षिक कैलेंडर में उच्चतम न्यायालय एवं जिला न्यायालय स्तर की आंतरिक समिति के सदस्यों का क्षमतावर्धन करने हेतु कार्यशाला, सेमिनार आदि कार्यक्रम सम्मिलित करते हुए, इस अधिनियम के तहत जांच कैसे की जानी है, इस हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया का भी गठन करने का दायित्व दिया गया है।

राष्ट्रीय/राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को विभिन्न कर्मियों को इस संबंध में संवेदनशील करने हेतु मॉड्यूल विकसित करने का निर्देश दिया गया है।

उपरोक्त के आलोक में कृपया अविलंब यह सुनिश्चित करें कि:–

1 आपके विभाग/जिला में आंतरिक/स्थानीय समिति का गठन नियमानुसार कर लिया गया है और उसकी जानकारी सदस्यों के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल पते सहित आपने महिला एवं बाल विकास निगम को भेजते हुए अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित कर दी है।

~~2 अपने अपने कार्यालय में आपने सभी कर्मियों को विशेषकर महिला कर्मियों को इस~~ अधिनियम के विभिन्न पहलुओं से अवगत करा दिया है तथा कार्यालय में कई जगह पर इस अधिनियम से संबंधित पोस्टर (सॉफ्ट कॉपी संलग्न) लगा दिए हैं। आंतरिक

समिति के सदस्यों की जानकारी भी कार्यालय के नोटिस बोर्ड या अन्य महत्वपूर्ण जगह जिसे सब देख सकें प्रदर्शित कर दिया गया है।

3. जिला स्तर पर असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं (घरेलू कामगार, कृषि, मनरेगा कामगार, पंचायत कामगार) के लिए गठित स्थानीय समिति की जानकारी सदस्यों के नाम, मोबाईल नंबर, ई–मेल सहित जिले के विभिन्न प्रखंडों/पंचायतों एवं अन्य कार्यालयों पर प्रदर्शित कर दी गई है। साथ ही इस से संबंधित पोस्टर एवं जानकारियां भी सभी स्तर पर प्रचारित की जा रही है?

4. इस अधिनियम से संबंधित बुकलेट, प्रचार–प्रसार सामग्री महिला एवं बाल विकास निगम से प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर विभिन्न जगहों पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार

दिनांक: 26/05/23

पत्रांकः- WCDC/1349/23

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव /मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मंत्रिमंडल सचिवालय/गृह विभाग/संसदीय कार्य विभाग/वित्त विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ निगरानी विभाग/पंचायती राज विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/अल्प संख्यक कल्याण विभाग/ऊर्जा विभाग/श्रम संसाधन विभाग/उद्योग विभाग/पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/गन्ना उद्योग विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/कृषि विभाग/कला संस्कृति एवं युवा विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग/खाद्य एवं उपभोगता संरक्षण विभाग/जल संसाधन विभाग/वाणिज्य कर विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग/सूचना एवं जनसंपर्क विभाग/पर्यटन विभाग/परिवहन विभाग/सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार।

विषयः- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अनुरूप सभी विभागों में आंतरिक समिति का गठन सही रूपेण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अनुरूप सभी विभागों में आंतरिक समिति का गठन किया जाना है। समीक्षा के क्रम मे यह पाया गया कि विभिन्न विभागों द्वारा आंतरिक समिति का गठन अधिनियम के अनुसार नहीं किया गया है। अधिकतर विभागों में समिति में कोई बाहय सदस्य नहीं है, जो इस विषय का जानकार हो। कुछ विभागों में पुरुष पदाधिकारी समिति के अध्यक्ष बनाए गए जो नियमानुसार नहीं है। विभागों से प्राप्त आंतरिक समिति की सूची पत्र के साथ संलग्न की गई है। त्रुटियों को सुधार कर अधिनियम के अनुरूप आंतरिक समिति की गठन की जाए। अधिनियम के अध्याय– 2 (4) के तहत 'आंतरिक समिति' के गठन हेतु निम्न प्रावधान है:–

1. आंतरिक समिति के गठन में न्यूनतम 04 सदस्यों का होना आवश्यक है। एक पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी: (वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या यूनिटों से नाम निर्देशित किया जायेगा)

(10)

2. कर्मचारियों में से दो अन्यून ऐसे सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध है या जिनके पास सामाजिक कार्यों का अनुभव है या विधिक ज्ञान है।

3. गैर सरकारी संगठनों या संगमों में से ऐसा एक सदस्य जो महिलाओं के समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या कोई व्यक्ति लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित है। परन्तु इस प्रकार नाम निर्देशित कुल सदस्यों में से कम–से–कम आधे सदस्य महिलायें होंगी।

4. जहां कार्यालय की प्रशासनिक इकाई प्रमंडल या अनुमंडल स्तर पर हो, वहां प्रत्येक कार्यालय के लिए अलग आंतरिक समिति गठित करनी होगी (बशर्ते की उक्त कार्यालय में 10 या उससे अधिक कर्मी कार्यरत हो)

5. राज्य स्तर के कुछ विभागों से निगम को गैर–सरकारी संगठनों के सदस्यों का नाम उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। उक्त के आलोक में स्पष्ट करना है कि बाह्य सदस्य का चयन नियोक्ता को ही करना है।

6. विभाग स्वयं भी अधिनियम के अर्हत्ता के अनुसार गैर सरकारी संस्था से सदस्य लेने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही अधिनियम के अध्याय– 2 के कंडिका (4) के अनुसार गैर सरकारी संगठनों या संगमों में से नियुक्त किये गये सदस्य की आंतरिक समिति की कार्यवाहियाँ करने के लिए नियोजक द्वारा फीसें या भत्तें, जो विहित किये जायें, संदत किए जायेंगे।

अतः नियमानुसार आंतरिक समिति का गठन/पुर्नगठन शीघ्र कर निगम को तीन दिनों में (संलग्न प्रपत्र) में सूचित करने की कृपा करें।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

26/5/23

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

आंतरिक समिति के संदस्यों की जानकारी

आंतरिक समिति के गठन की तिथि:

क्रम स० (1)	नाम (2)	पदनाम (3)	दूरभाष नंबर (4)	ई-मेल पता (5)
1	पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष -			
2	सदस्य -			
3	सदस्य -			
4	बाह्य सदस्य -			

नोट: आंतरिक समिति का गठन अधिनियम के अध्याय 2 के कंडिका 4 भाग (2) के अनुसार करना है।

7	ग्रामीण विकास विभाग	1. श्रीमती रूक्मिनी कुमारी, (अध्यक्ष)	प्रशाखा पदाधिकारी	समिति में बाह्य सदस्य नही है।
		2. श्री गुलाम शाहिद, (सदस्य)	प्रशाखा पदाधिकारी	
		3. श्रीमती विभा कुमारी, (सदस्य)	प्रशाखा पदाधिकारी	
		4. श्रीमती रंजना, (सदस्य)	महिला प्रसार पदाधिकारी	
8	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (1251 दिनांक 09/11/22)	1. श्रीमती सिमी प्रसाद, (अध्यक्ष)	अनुदेशक, चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान	समिति में बाह्य सदस्य नही है।
		2. श्री रामायण राम, (सदस्य)	प्रशाखा पदाधिकारी	
		3. श्री अरविंद कुमार, (सदस्य)	प्रशाखा पदाधिकारी	
		4. श्रीमती कमला कुमारी, (सदस्य)	सहायक	
		5. श्रीमती ममता रानी, (सदस्य)	सहायक	
9	भू-अर्जन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	1. श्रीमती रश्मि भारती, (अध्यक्ष)	सचिवालय सहायक	आंतरिक समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या चार होना चाहिए। एक बाह्य सदस्य का होना आवश्यक है।
		2. श्रीमती पद्मवाशिनी, (सदस्य)	स्टेनोग्राफर	
		3. श्रीमती संगीता कुमारी, (सदस्य)	उच्च वर्गीय लिपिक	
10	कृषि विभाग, बिहार (2013 दिनांक 24/03/23)	1. श्रीमती अनु कुमारी, (अध्यक्ष)	विशेष कार्य पदाधिकारी	समिति का गठन अधिनियम के अनुरूप है।
		2 श्रीमती वाचना श्री (सदस्य)	सहायक निदेशक	
		3 श्रीमती गरिमा झरिया (सदस्य)	सहायक निदेशक	
		4 सिस्टर सुधा वर्गीज (बाह्य सदस्य)	गैर-सरकारी संगठन	